भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4187

उत्तर देने की तारीख: 19.08.2025

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय सीमा

4187. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग योजना संबंधी श्रेणी के लिए आठ लाख रुपये की आय सीमा निर्धारित करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं कराया है या इसकी जांच के लिए कोई समिति गठित नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार के पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आठ लाख रुपये की आय सीमा निर्धारित करने के लिए कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (घ): सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान में सामाजिक पिछड़ेपन पर अधिक जोर दिया जाता है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की पहचान के लिए केवल आय मानदंड लागू किया जाता है।

अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आरक्षण के लिए 8.00 लाख रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा का मापदंड निर्धारित किया गया था।

इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं। आय में सभी स्रोतों से प्राप्त आय शामिल है, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

*****